न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—67 / 19 (2019 / 00153) वाद पत्र

उनवान

1—ललितसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—उर्मिलाकंवर पुत्री सत्येन्द्रसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—सत्येन्द्रसिंह उर्फ सत्यदेव पिता करणीदान चारण नि. बाड़ी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—निर्मलाकवंर पत्नि सत्येन्द्रसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—गुड्डी उर्फ लीलाकंवर पुत्री सत्येन्द्रसिंह चारण नि. बाड़ी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—गणीदेवी पत्नि भंवरलाल गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—तहसीलदार रायपुर एवं पदेन उपपंजीयक तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 15.09.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक मौरूषी साबिक कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 103 में अंकित आराजी संख्या 12, 13, 20/1 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 12, 13, 20/3 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 16/2क रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 16/2ग रकबा 5 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी तरह साबिक खाता संख्या 89 में अंकित आराजी संख्या 48 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 49 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 52 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 37/2 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। पूर्व मे उक्त भूमियां वादीगण के दादाजी के नाम दर्ज रेकार्ड थी प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 2030 से 2053 तक प्रस्तुत की है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के मूल पुरूष करणीदान जी थे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्रीया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 वादीगण की सौतेली मां होकर प्रतिवादी संख्या 3 की सगी मां है। वादीगण की ग्राम बाड़ी में स्थित मौरूषी कृषि आराजियात में 1/4—1/4 यानि सम्पूर्ण कृषि भूमियो में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है और उसी अनुसार मौके पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने नवीन आराजी संख्या 468, 472, 519 कुल किता 3 कुल रकबा 1.18 है0 भूमि डालु पिता मांगु लुहार निवासी बाड़ी को विक्रय कर दी और इसी तरह आराजी नम्बर 426 रकबा 0.98 है0 भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह व माधुपुरी को विक्रय कर दी। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नवीन आराजी नम्बर 414 रकबा 1.01 है0 व आराजी संख्या 431 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 रकबा 1.32 है0 भूमि सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 399 रकबा 0.82 है0 भूमि मे से 4/5 हिस्सा प्रतिवादी 1 ने निर्मलाकवंर को तथा आराजी संख्या 399 का 1/5 हिस्सा शंकरलाल कुमावत को विक्रय कर दिया इस तरह प्रतिवादी 1 से 3 ने मिली भगत कर 4.30 है0 भूमि विक्रय कर दी। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ग्राम बाड़ी के खाता संख्या 351 में दर्ज किता 5 रकबा 2.72 है0 तथा 169 में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम किता 2 रकबा 1.32 है0 एवं 338 में अंकित आराजी 399 मे से 4/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 414 व 433 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि दिनांक 28.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दी। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज भूमि का नाजायज फायदा उठाते हुए विक्रय कर रहे है [illegible]तिवादी के विरूद्व वाद पेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 12:00:37 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। अतः सादर निवेदन है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिकी फरमाई जाए कि ग्राम बाड़ी के खाता संख्या 351 में अंकित किता 5 रकबा 2.72 है0 खाता संख्या 169 में अंकित किता रकबा 1.32 है0 भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विकय की गई भूमियो को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से कम करते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं उक्त भूमियो में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमियो को प्रतिवादीगण किसी तरह से रहन बय बक्षीस नही करे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से अधिकार पत्र फारूख मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत कर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 5 फौरमल पक्षकार है। प्रतिवादी सख्या 1 से 4 की और से अपने जवाब में अंकन किया कि वादीगण के दादा करणीदान के 4 पुत्र थे जिसमें बड़े पुत्र देवराजसिंह, दुर्गादानसिंह, सत्येन्द्रसिंह, सखदेवसिंह जिसमें देवराजसिंह के कोई जायन्दा संतान नही होने से वादी को 25 वर्ष से गोद पुत्र की हैसियत से गोद रख लिया और ललितसिंह देवराजसिंह के गोद पुत्र की हैसियत से सेवा कर रहा है। ललितसिंह का सत्येन्द्रसिंह की विरासत में कोई हक हिस्सा नही है। वादी सौतेली मां निर्मलाकंवर को एवं प्रतिवादी 1 को परेशान करता है और गोद पिता से मिलकर भूमियो में हक बता रहा है जो उचित नही है। वादी का कोई कब्जा नही है। प्रतिवादी 1 के द्वारा जो भूमिया विकय की गई है को बिमारी और दवाई खर्चा के ईलाज के खर्चे के लिये की गई है और वादी द्वारा अपने मूल पिता सत्येन्द्रसिंह व माता निर्मलाकंवर का परित्याग कर रखा है। प्रतिवादी 1 के नाम वर्तमान आराजी नम्बर 393, 410, 424, 425, 440 कुल किता 5 रकबा 2.72 है0 भूमि प्रतिवादी सत्येन्द्र के नाम पर शेष है जिसमें से प्रतिवादी वादीगण को 1/2 हिस्सा देने को तैयार है बाकि भूमिया विकय की जा चुकी है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारीज करना फरमावे।

वाद सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 उपस्थित जिन्होने न्यायालय में यह कहा कि वादी को आधा हिस्से की भूमि देने के लिये तैयार है बर्शत की वो हमारी सेवा करे और हमारी सार सभांल करे। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 जो प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिसको भी वादी के नाम दर्ज आराजियात मे से 10 बीघा भूमि वादीगणो को देने में एवं शंष रकबा प्रतिवादी संख्या 3 गुड्डी उर्फ लीलाकंवर तथा खाता संख्या 169 मे अकिंत नवीन आराजी नम्बर 399 रकबा 0.84 है0 मे प्रतिवादी 2 निर्मला कंवर का 4/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जिसमें से 0.52 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 गुड्डी उर्फ निर्मलाकंवर के नाम दर्ज करने हेतु डिकी फरमाई जावे प्रतिवादी 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है। इस पर वादी कमांक 1 उपस्थित जिन्होने भी प्रतिवादी 1 व 2 की सेवा देखरेख सार संभाल करने की जिम्मेदारी ली गई और कहा कि में दोनो माता पिता की सेवा करूंगा ओर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नही आने दुंगा। दोनो पक्षो के अधिवक्ता भी उपस्थित थे और अधिवक्ताओं द्वारा यह कहा गया कि दोनो पक्षो के मध्य आपसी रजामंदी अनुसार वाद निर्णित करने पर कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादीगण के दादा करणीदान के नाम पर साबिक रेकार्ड में 140 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसमें प्रतिवादी 1 के नाम 27 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड हुई एवं उसके बाद पिता के नाम शेष रही 31 बीघा 6 बिस्वा भूमि मे से स्वेच्छिक बंटवाड़े में 6 बिघा 5 बिस्वा भूमि ओर दर्ज हुई। इस प्रकार प्रतिवादी 1 के नाम 33 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रतिवादी संख्या 1 के 1 पुत्र व 2 पुत्रीया जो वादी कमांक 1 व 2 एवं प्रतिवादी कमांक 3 है। पैतृक सम्पति में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी 1 एवं 3 का 1/2 ... प्रतिवादी 1 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 12:00:37 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा समय समय पर अपने नाम दर्ज भूमि मे से कुछ रकबा विक्रय किया गया है जिसमें अन्य व्यक्तियो के साथ प्रतिवादी 2 एवं 4 को भी विक्रय की गई है इस प्रकार वर्तमान में प्रतिवादी 1 के नाम मात्र 2.72 है0 भूमि स्वयं के नाम दर्ज रेकार्ड है शेष खाता संख्या 338 में दर्ज खसरा नम्बर 399 रकबा 0.82 है0 1/5 हिस्सा शंकरलाल कुमावत को व 4/5 हिस्सा प्रतिवादी 2 अपनी पत्नि निर्मलाकंवर को विक्रय की गई इसी प्रकार खसरा नम्बर 414 व 433 रकबा 1.32 है0 भूमि प्रतिवादी 1 के द्वारा प्रतिवादी 2 को विक्रय कर दी और उसके बाद प्रतिवादी 2 के द्वारा भी उक्त कयशुदा खसरा नम्बर 414, 433 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 13.09.2019 को विक्रय कर दी इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय करने पर आमाद है और पैतृक भूमि में वादीगणो एवं प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार खाता सख्या 351 में दर्ज किता 5 रकबा 2.72 है0 जो प्रतिवादी 1 नाम दर्ज है। खाता संख्या 338 में दर्ज आराजी नम्बर 399 रकबा 0.82 है0 में प्रतिवादी 2 का 4/5 हिस्सा तथा खाता संख्या 169 में किता 2 रकबा 1.32 है0 भूमि जो प्रतिवादी 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार कुल 4.69 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या का 1/4 हिस्सा से भूमि हिस्से में आती है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि एवं 2 के नाम दर्ज भूमि से पाने के अधिकारी है। किन्तु इस प्रकरण में पक्षकारो के मध्य आपसी समझौता होने से प्रतिवादी कमांक 1 के नाम दर्ज 2.72 है0 भूमि मे वादीगण को 2.17 है0 भूमि एवं शेष 0.55 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 399 में 4/5 हिस्सा मे से 0.53 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में सहमति व्यक्त की इसी सहमति अनुसार वाद में डिक्री जारी किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण 1 व 2 के आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 393 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 410 रकबा 0.63 है0, आराजी नम्बर 424 रकबा 0.30 है0, आराजी नम्बर 425 रकबा 0.46 है0, आराजी नम्बर 441 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.72 है0 भूमि मे ललितसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह 109/272 उर्मिला पुत्री सत्येन्द्रसिंह 108/272 एवं गुड्डी उर्फ लीलाकंवर पुत्री सत्येन्द्रसिंह 55/272 एवं नवीन आराजी नम्बर 399 मे प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 4/5 हिस्से मे से 13/82 व प्रतिवादी संख्या 3 को 53/82 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 399 में शंकरलाल पिता रामा कुमावत 1/5 (16/82) यथावत बदस्तुर जमाबन्दी रहेगा। वादीगण प्रतिवादी कमांक 1, 2 की देखरेख सेवा संभाल करेंगे और नही करने पर सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करने में स्वतन्त्र रहेंगे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.9.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 12:00:37 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–67/19 (2019/00153) वाद पत्र

उनवान

1–ललितसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–उर्मिलाकंवर पुत्री सत्येन्द्रसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–सत्येन्द्रसिंह उर्फ सत्यदेव पिता करणीदान चारण नि. बाड़ी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–निर्मलाकवंर पत्नि सत्येन्द्रसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–गुड्डी उर्फ लीलाकंवर पुत्री सत्येन्द्रसिंह चारण नि. बाड़ी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–गणीदेवी पत्नि भंवरलाल गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–तहसीलदार रायपुर एवं पदेन उपपंजीयक तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण 1 व 2 के आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 393 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 410 रकबा 0.63 है0, आराजी नम्बर 424 रकबा 0.30 है0, आराजी नम्बर 425 रकबा 0.46 है0, आराजी नम्बर 441 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.72 है0 भूमि मे ललितसिंह पिता सत्येन्द्रसिंह 109/272 उर्मिला पुत्री सत्येन्द्रसिंह 108/272 एवं गुड्डी उर्फ लीलाकंवर पुत्री सत्येन्द्रसिंह 55/272 एवं नवीन आराजी नम्बर 399 मे प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 4/5 हिस्से मे से 13/82 व प्रतिवादी संख्या 3 को 53/82 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 399 में शंकरलाल पिता रामा कुमावत 1/5 (16/82) यथावत बदस्तुर जमाबन्दी रहेगा। वादीगण प्रतिवादी कमांक 1, 2 की देखरेख सेवा संभाल करेंगे और नही करने पर सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करने में स्वतन्त्र रहेंगे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 15.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

15.09.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 12:00:37 IST
Reason: SelfAttested